हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारी[ख] अहकाम जो [...] हुक्म की तामी[ल] में जारी हुए
24/05/22 पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षो के वकील उपस्थित। ८२६ दुर्गी नही आदेश मांगा के लिखा जाकर स्कूल न्यायालय बुलाया गया। आदेश की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली निर्णित करार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:03:29 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 83 / 2021

प्रार्थीगण :–

1. पुरखाराम वल्द चिमनाराम
2. वगताराम वल्द चिमनाराम

   कौम मेगवाल निवासी निवासी सोढ़ों की ढाणी, ग्राम पंचायत रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. अगराराम वल्द वालाराम
2. चूनीदेवी पत्नी वालाराम
3. जबराराम वल्द वालाराम
4. मोबताराम दत्तक पुत्र सालूराम

   कौम मेगवाल निवासी सोढों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
5. कृष्ण पुत्र मनजी
6. छगना पुत्र भाना
7. जबराराम पुत्र वालाराम
8. पुरखाराम पुत्र चिमनाराम
9. लक्ष्मण पुत्र भाना
10. वगताराम वल्द चिमनाराम
11. वीरा पुत्र मनजी

    कौम त्रीगर निवासी सोढों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
12. पनीदेवी पत्नी हरजीराम
13. पाताराम वल्द हरजीराम
14. बाबूराम वल्द हरजीराम
15. मोडाराम वल्द हरजीराम

    कौम भांभी अर्थात मेघवाल, साकिन सोढों की ढाणी, तहसील गुड़ामालानी
16. चतराराम वल्द दुरगा
17. तेजा वल्द दुरगा
18. हरा वल्द दुरगा

    कौम रबारी, साकिन सोढों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी
19. मोबताराम वल्द पंचाणाराम
20. तारीदेवी पत्नी आसूराम

    कौम मेगवाल साकिन सोढों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी
21. मोहन वल्द अमराराम कौम माली साकिन सोढों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नौखडा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:03:29 IST
Reason: SelfAttested

:: आदेश ::

दिनांक :– 24.05.22

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु,नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 की ओर अधिवक्ता उपस्थित हुए परन्तु पर्याप्त अवसर लिये जाने के उपरान्त भी जबाव पेश नहीं करने से विप्रार्थी संख्या 1 ता 4 का जबाव का अवसर बन्द किया

गया। शेष विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। प्राथीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित खसरान की नेखबन्दी कराये जाने के आदेश दिये जाने का निवेदन किया तथा विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया कि उनके द्वारा भी नेखबन्दी का प्रार्थना पत्र पेश किया है। दौनों प्रकरणों की नेखबन्दी कार्यवाही एकसाथ कराई जावे। हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2076–2079 (2078 से स्थायी) सरहद मौजा सोढ़ों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 478 रकबा 2.0558 हैक्टेयर का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा सोढ़ों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 478 रकबा 2.0558 हैक्टेयर के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 500/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना गुड़ामालानी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार नौखड़ा बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 21/1/2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 18:03:29 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुड़ामालानी
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी